भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3000

13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अंग और ऊतक दान को बढ़ावा देना

3000. श्री राजू बिष्ट:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान देश में अंग और ऊतक दान तथा प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अंग और ऊतक प्रत्यारोपण को वहनीय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2014 से अंगों और ऊतकों के अवैध व्यापार को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार के पास वर्ष 2014 से अंगों, ऊतक दान और इनके प्रत्यारोपण से संबंधित आंकड़ों का ब्यौरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले दस वर्षों के दौरान देश में अंग और ऊतक दान तथा प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) का कार्यान्वयन, जिसका उद्देश्य मृतक अंग दान के बारे में जागरूकता बढ़ाकर, प्रत्यारोपण के लिए अंग प्रापण और वितरण के लिए एक कुशल तंत्र का

आयोजन करके, सार्वजनिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करके, जनशक्ति को प्रशिक्षित करके देश के जरूरतमंद नागरिकों के लिए अंग प्रत्यारोपण तक पहुंच में सुधार करना है।

- एनओटीपी के तहत, तीन स्तरों पर समर्पित संस्थानों के साथ एक त्रि-स्तरीय नेटवर्क स्थापित किया गया है। ये त्रि-स्तरीय संस्थान हैं- एक राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोट्टो), पांच क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (रोट्टो), और 21 राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (सोट्टो)। वर्तमान में, अंग/ऊतक प्रत्यारोपण, अंग पुनर्प्राप्ति और ऊतक बैंकिंग में शामिल 900 से अधिक संस्थान और अस्पताल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।

- जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, जैसे कि प्रतिवर्ष भारतीय अंग दान दिवस मनाना, सेमिनार, वेबिनार, कार्यशालाएँ, वाद-विवाद, खेल आयोजन, वॉकथॉन, मैराथन, नुक्कड़ नाटक, कानूनी संगोष्ठी, नोट्टो वैज्ञानिक संवाद आदि का आयोजन किया जाता है।

- सरकार ब्रेन स्टेम डेथ और अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी मंत्रालयों और विभागों, कानूनी प्रतिनिधियों, चिकित्सा और पराचिकित्सा पेशेवरों, कॉरपोरेट्स, पुलिस कर्मियों, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, स्कूल और कॉलेज के छात्रों, समुदाय-आधारित संगठनों आदि जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ सहभागिता करती है। अंगदान के बारे में जानकारी देने के लिए स्कूली बच्चों के साथ नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जागरूकता बढ़ाने, प्रतिज्ञा पंजीकरण और MyGov के माध्यम से प्रतियोगिताओं के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं। नोट्टो टीवी, रेडियो और अन्य दृश्य-श्रव्य मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया आदि पर विशेषज्ञों और कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा वार्ता के माध्यम से अंगदान को बढ़ावा देता है।

- प्रत्यारोपण/पुनर्प्राप्ति अस्पतालों में आईसीयू और अन्य कार्यनीतिक स्थानों के बाहर अंगदान पर डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित किए जाते हैं।

- जुलाई, 2023 के महीने में सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को शामिल करते हुए अंगदान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न जागरूकता तथा अंगदान प्रतिज्ञा संबंधी गतिविधियाँ और प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के माध्यम से हर साल अंगदान को बढ़ावा दिया जाता है और हाल ही में जी-20 कार्यक्रमों के दौरान भी इसे बढ़ावा दिया गया। गांव स्तर तक जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2023 में सेवा पखवाड़ा, आयुष्मान भव पहल, विकसित भारत संकल्प यात्रा आदि के दौरान अंगदान को बढ़ावा दिया गया।

- वर्ष 2024 में अंगदान जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें जुलाई में अंगदान माह मनाया गया। अभियान की गतिविधियों को केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के माध्यम से निष्पादित किया गया है। 14वां भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त, 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें मृतक

अंगदाताओं के परिवारों को सम्मानित किया गया और अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान नोट्टो की वार्षिक रिपोर्ट, अंग परिवहन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और नोट्टो ई-न्यूज़लेटर भी जारी किया गया।

- एक वेबसाइट (www.notto.mohfw.gov.in) शुरू की गई है, साथ ही अंग दान के लिए सूचना, टेली -परामर्श प्रदान करने और समन्वित सहायता करने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर (1800114770) के साथ एक 24x7 कॉल-सेंटर की स्थापना की गई है।

- सितंबर 2023 में अंग और ऊतक दान प्रतिज्ञाओं के पंजीकरण की सुविधा के लिए आधार से जुड़ा डिजिटल वेब पोर्टल (notto.abdm.gov.in) शुरू किया गया है। आदिनांक, 2 लाख से अधिक नागरिकों ने मृत्यु के बाद अपने अंग और ऊतक दान करने का संकल्प लिया है।

- एनओटीपी के तहत, रोट्टो/सोट्टो की स्थापना, सरकारी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे में वृद्धि जैसे कि अंग प्रत्यारोपण/पुनर्प्राप्ति केंद्र/ऊतक बैंक आदि का संवर्द्धन, मेडिकल कॉलेजों और ट्रॉमा सेंटरों द्वारा प्रत्यारोपण समन्वयकों की भर्ती, मृतक दाताओं का रख-रखाव, अंग परिवहन, प्रत्यारोपण के बाद इम्यून-सप्रैसेंट दवाएं, जागरूकता पहल, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान प्रदान किया जाता है।

- प्रत्येक मृतक दाता के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए 10,000/- रुपये का अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे मृतक अंग दाताओं और उनके परिवार के सदस्यों को दान के समय सम्मान के तौर पर शॉल, प्रमाण-पत्र और पुष्प भेंट करके सम्मानित करें, जिसके लिए एनओटीपी के तहत प्रति दाता 1,000/- रुपये का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

- एक समान अंग परिवहन नीति सुनिश्चित करने के लिए 14वें भारतीय अंग दान दिवस के अवसर पर 3 अगस्त, 2024 को अंग परिवहन के लिए एसओपी शुरू किए गए।

(ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले दस वर्षों के दौरान अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण को किफायती बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- सरकारी क्षेत्र में अंग दान एवं प्रत्यारोपण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नए एम्स, एम्स जैसे संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों के भीतर सुपर-स्पेशियलिटी ब्लॉक सहित कई विशिष्ट स्तर के संस्थान स्थापित किए गए हैं। एनओटीपी के तहत, अंग पुनर्प्राप्ति, प्रत्यारोपण और ऊतक बैंकिंग के लिए सुविधा केंद्र बनाने और उन्नत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान दिए जाते हैं;
- आयुष्मान भारत की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) योजना के तहत गुर्दा प्रत्यारोपण पैकेज को शामिल किया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) के तहत, हृदय, फेफड़े, यकृत, गुर्दा और अन्य अंग प्रत्यारोपण के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले रोगियों को 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

- एनओटीपी के तहत, प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ताओं को इम्यूनो-सप्रैसेंट दवाओं के लिए प्रति मरीज प्रति माह 10,000/- रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग): 'स्वास्थ्य' और 'कानून एवं व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। इस प्रकार, अंग व्यापार की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्रवाई करना और उस पर निगरानी रखना प्राथमिक रूप से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम (टीएचओटीए), 1994 में इस अधिनियम या इसके तहत किसी भी नियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या किसी भी शिकायत की जांच के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा एक उपयुक्त प्राधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्य के उपयुक्त प्राधिकारी के पास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत किसी मुकदमे की सुनवाई के लिए सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी।

हालांकि, अवैध अंग प्रत्यारोपण को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- देश में अंगों और ऊतकों के प्रापण और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने और अंग दान और प्रत्यारोपण की निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाए रखने के लिए टीएचओटीए 1994 के तहत केंद्र सरकार को दिए गए अधिदेश के अनुसरण में एक राष्ट्रीय शीर्ष स्तरीय संगठन नोट्टो की स्थापना की गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि अंग प्रत्यारोपण या पुनर्प्राप्ति करने वाले प्रत्येक अस्पताल को नोट्टो की वेबसाइट से जोड़ा जाना चाहिए और प्रत्यारोपण के मृतक और जीवित दाताओं और प्राप्तकर्ताओं से संबंधित डेटा नोट्टो द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय रजिस्ट्री में अपलोड किया जाना चाहिए। इसके अलावा, मानव अंग के प्रत्येक दाता और प्राप्तकर्ता के पास मृतक और जीवित दाता प्रत्यारोपण दोनों के मामलों में एक विशिष्ट नोट्टो आईडी होगी और इसे संबंधित अस्पतालों द्वारा तैयार किया जाना है।
- नोट्टो, रोट्टो, सोट्टो और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए देश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है, ताकि लोग कानून द्वारा अनुमति प्राप्त तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अंगदान प्रक्रिया के बारे में जागरूक हो सकें, साथ ही अंग व्यापार में लिप्तता से जुड़ी अवैधता और परिणामों के बारे में भी जान सकें, ताकि उनके लिए कानून के प्रावधानों का पालन करना आसान हो सके।
- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अंग प्रत्यारोपण की अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के अपने कार्यों के निर्वहन में उपयुक्त प्राधिकारी को सहायता और सलाह देने के लिए टीएचओटीए, 1994 के प्रावधानों के अनुसार एक सलाहकार समिति का गठन करने की सलाह दी गई है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया था, जिसके बाद विदेश मंत्रालय द्वारा भारत में सभी दूतावासों/विदेशी मिशनों को एक मौखिक नोट परिचालित किया गया है, जिसमें उन्हें भारत में अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई है ताकि विदेशियों से जुड़े अवैध अंग प्रत्यारोपण को रोका जा सके। विदेशियों से संबंधित प्रत्यारोपण के नियमों को विदेश मंत्रालय के साथ साझा किया गया है ताकि उन्हें विदेश स्थित

भारतीय मिशनों में प्रसारित किया जा सके और इन्हें बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों पर भी प्रदर्शित किया गया है।

- भारत में प्रत्यारोपण को विनियमित करने वाले विशिष्ट नियमों, दिशा-निर्देशों और कानूनी अपेक्षाओं को भारत में स्थित सभी विदेशी राजनयिक मिशनों को उनकी जानकारी के लिए प्रसारित किया गया है ताकि वे इस जानकारी को भारत में प्रत्यारोपण उपचार कराने वाले अपने-अपने नागरिकों तक आगे प्रसारित कर सकें।

(घ): वर्ष 2014 से 2023 तक देश में अंग प्रत्यारोपण और अंगदान की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	**कुल अंग प्रत्यारोपण**	**कुल अंग दान**
2014	6916	6294
2015	8348	7355
2016	9022	7687
2017	9539	8202
2018	10340	8961
2019	12666	11323
2020	7443	6812
2021	12259	11198
2022	16041	14300
2023	18378	16542

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 2018 से 2023 तक देश में ऊतक प्रत्यारोपण और ऊतक दान की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	**कुल ऊतक प्रत्यारोपण**	**कुल ऊतक दान**
2018	6403	8996
2019	7416	11719
2020	2578	3831
2021	5208	5831
2022	6050	8918
2023	2910	6918

*****